फाईल सं : ई-11025/1/2022-डीओएफ़ (ई- 20415)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

राजभाषा अनुभाग

**

दिनांक : 09.06.2022

राजभाषा परिपत्र – 1

विषय: (i) मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन का आरंभ और सुप्रवाह (Streamlining) ।

(ii) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 2022 -23 के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम का परिचालन ।

मत्स्यपालन विभाग का राजभाषा अनुभाग आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है और अनुभाग में नियमित अधिकारी/कर्मियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है । भारत के संविधान में निहित अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/अधिकारियों/कर्मियों को राजभाषा हिन्दी से संबन्धित अधिनियमों/नियमों के अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है । राजभाषा हिन्दी के नियमों का पालन और कार्यालय के कार्यों में राजभाषा हिन्दी का नियमित उपयोग न केवल एक संवैधानिक दायित्व है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है ।

मत्स्यपालन विभाग में राजभाषाई कार्यों को सुप्रवाह करने की दिशा में कुछ तात्कालिक कदम उठाए जाने अत्यावश्यक है जो नीचे दिए गए हैं। मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारियों / कर्मियों से अनुरोध है कि राजभाषा अनुभाग द्वारा जारी परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट जरूर करें और राजभाषा अनुभाग को पूर्ण सहयोग दें ताकि मत्स्यपालन विभाग से संसद के पटल पर प्रस्तुत होने वाले / संसदीय राजभाषा समिति को जारी होने वाले राजभाषा संबंधी आंकड़े वास्तविक, यथार्थपूर्ण और प्रामाणिक हों ।

I. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) में जारी होने हैं :-

1. सामान्य आदेश/ general order
2. संकल्प/ resolution
3. परिपत्र/ circular
4. नियम/ Rule
5. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन/ Administrative and other reports
6. प्रेस विज्ञप्तियां/ press releases
7. संविदाएं/ contracts
8. करार/ agreement
9. अनुज्ञप्तियां/ licenses
10. निविदा प्रारूप/ Tender Format
11. अनुज्ञा-पत्र/ permit
12. निविदा सूचनांए/ Tender Notices
13. अधिसूचनाएं/ Notifications
14. संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र/ Reports and papers to be laid before Parliament

कृपया उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।

II. हिन्दी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) : हिन्दी बोली जाने और लिखी जाने की प्रधानता के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे रखकर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :- -

क	ख	ग
बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली।	"क" और "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

मत्स्यपालन विभाग "क" क्षेत्र में स्थित है और राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालय को निम्नलिखित रूप से राजभाषा हिन्दी में मूल पत्राचार किया जाना अपेक्षित है :-

क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100%

क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100%

क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65%

मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारियों / कर्मियों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार पत्राचार करने का हर संभव प्रयास करें।

III. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना है।

IV. हिन्दी में टिप्पण 75% अपेक्षित है।

V. राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले सभी पत्र शीर्ष, बोर्ड्स, बन्नेर्स, विजिटिंग काड्र्स, निमंत्रण पत्र, लोगो, रबर स्टाम्प, नाम पट्ट आदि द्विभाषी होने हैं।

VI. कार्यालय की वेबसाईट अनिवार्यत: द्विभाषी तैयार किया जाना है।

VII. **वार्षिक कार्यक्रम का परिचालन** : कृपया राजभाषा विभाग द्वारा 2022-23 के लिए जारी किए गए संलग्न वार्षिक कार्यक्रम का अवलोकन करने की कृपा करें ।

अनुरोध है कि सभी अनुभाग/अधिकारीगण एवं कर्मी राजभाषा के संबंध में किए गए कार्यों का रिकार्ड अवश्य रखें और उन्हें अपडेट करते रहें क्योंकि समय-समय पर राजभाषाई रिपोर्टों के लिए राजभाषा अनुभाग द्वारा डेटा प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाएगा। सभी मंत्रालयों की समेकित रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाती है अत: यह अत्यावश्यक है कि मत्स्यपालन विभाग की रिपोर्ट सम्माननीय हो।

मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मियों को राजभाषा से संबन्धित किसी भी विषय पर सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राजभाषा अनुभाग सदैव तत्पर है।

अनुवाद के लिए अथवा राजभाषा से संबन्धित किसी भी विषय के लिए कृपया सहायक निदेशक (राजभाषा) से ई-मेल/मोबाइल द्वारा संपर्क करें; ई-मेल : adol-fy@dof.gov.in ; मोबाइल : 9899169528 ।

यह परिपत्र संयुक्त सचिव महोदय (अंतर्देशीय एवं प्रशासन) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया

(एस. रेशमी)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्न : यथोक्त

सेवा में,
मत्स्यपालन विभाग के सभी अनुभाग/अधिकारी/कर्मी

File No: E-11025/1/2022-DOF (e-20415)
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Fisheries
Official Language Section

Date : 09.06.2022

Official Language Circular – 1

Subject: (i) Introduction of Official Language Implementation in the Department of Fisheries and Streamlining the Official Language (OL) activities
(ii) Circulation of Annual Programme for 2022-23 issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

Official Language Section of Department of Fisheries has come into existence officially and Regular Officer/Staff have joined the section. As enshrined in the Constitution of India, all the Ministries/Departments/Officers/Employees of the Central Government are required to work in accordance with the Acts/Rules related to Official Language Hindi. Following the rules of Official Language Hindi and regular use of the same in office work is not only a constitutional obligation but also a moral responsibility.

It is necessary to take some immediate steps in the direction of streamlining the official language works in the Department of Fisheries which are given below. All the officers / staff of the Department of Fisheries are requested to take into cognizance the circulars issued by the Official Language Section and give full cooperation to the OL Section so that the data concerning Official Language to be presented on the Table of Parliament / Parliamentary Committee of Official Language from the Department of Fisheries are real, accurate and authentic.

I. Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, the following documents are to be issued compulsorily in bilingual (Hindi and English):-

1. General orders
2. Resolution
3. Circular
4. Rule
5. Administrative and other reports
6. Press releases
7. Contracts
8. Agreement
9. Licenses
10. Tender Format
11. Permit
12. Tender Notices
13. Notifications
14. Reports and documents to be laid before the Parliament

The officers signing the above documents may kindly ensure that the above documents are being issued in bilingual form.

II. Original correspondence in Hindi (including e-mail): On the basis of Hindi spoken and written predominance, the states/UTs of the country have been classified as follows keeping in view their geographical location :- -

A	B	C
Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Andaman and Nicobar Islands, National Capital Territory of Delhi, Union Territory.	Gujarat, Maharashtra, Punjab, Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	All other States or Union Territories not included in regions "A" and "B".

The Department of Fisheries is located in the "A" region and according to the Annual Programme 2022-23 of the Official Language, central offices located in the "A" region have to undertake original correspondence in Official Language Hindi as follows:-

From Area **A** To Area **A** 100%

From Area **A** to Area **B** 100%

From Area **A** to Area **C** 65%

All the officers / Staff of the Department of Fisheries are requested to make every effort to undertake correspondence as indicated above.

III. Letters received in Hindi must be answered in Hindi only.
IV. Noting in Hindi is expected to be 75%.
V. Under Rule 11 of the Official Language Rules, 1976, all letter heads, boards, banners, visiting cards, invitation cards, logos, rubber stamps, name boards, etc., used in the office, are to be bilingual.
VI. The website of the office mandatorily must be bilingual.
VII. Circulation of Annual Programme: Kindly see the attached Annual Programme issued by the Department of Official Language for 2022-23.

It is requested that all the sections/officers and staff must keep a record of the work done in relation to the official language and keep updating them because from time to time the official language section will be requesting to submit this data for various official language reports. The consolidated report of all the Ministries are tabled in the Parliament every year, so it is imperative that the report of the Department of Fisheries is honorable.

The Official Language Section is always ready to provide assistance and encouragement to all the officers/employees of the Department of Fisheries on any subject related to the Official Language.

For translation or for any subject related to the official language, please contact the Assistant Director (Official Language) by e-mail / mobile; E-mail : adol-fy@dof.gov.in ; Mobile : 9899169528.

This circular is issued with the approval of Joint Secretary (I&A).

Regards,

(S. Reshmi)
Assistant Director (OL)

Attached : As above

To,
All Sections / Officers / Staff of Department of Fisheries